

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बागपत वन प्रभाग बागपत।
पत्रांक - 1972 / 14-1, दिनांक, मेरठ, 03 फरवरी, 2016.

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ वृत्त,
मेरठ।

विषय:-

बागपत में लोनिविडो द्वारा मेरठ-बागपत मार्ग किमी 71 पर हिण्डन नदी पर प्रस्तावित सेतु के दायरे और सम्यक् मार्ग निर्माण हेतु 1.215 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उसपर अवस्थित 30 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:-

1-अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 567/बागपत/4525/यूपी-128/2015 दिनांक 27.1.2016.
2-अधिकांसी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बागपत का पत्रांक 168/10सी दिनांक 1.2.2016.

महोदय,


अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 उ०प्र० लखनऊ का उपरोक्त संदर्भित पत्र (शायप्रति संलग्न) से बागपत में लोनिविडो द्वारा मेरठ-बागपत मार्ग किमी 71 पर हिण्डन नदी पर प्रस्तावित सेतु निर्माण व प्रस्ताव पर कतिपय बिन्दुओं पर पुनः आख्या चाही गयी है। पत्र में लगाई गई आपत्तियों का निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है:-

- 1- प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में हस्ताक्षर पुनः करा दिये गये हैं एवं सील लगा दी गई है।
- 2- प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या 31 में पूर्व में लोक निर्माण विभाग द्वारा लगा दिया गया था, जो निकाल दिया गया है। सेतु से मेरठ की ओर अर्थात् सेतु के बाईं ओर 0.877145 हे० एवं बागपत की ओर अर्थात् सेतु के दाईं ओर 0.337845 हे० भूमि की आवश्यकता है, जिसकी गणना प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 28 पर दी गई है। तदनुसार पृष्ठ संख्या संशोधित कर दिये गये हैं।

अतः आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्ताव तीन प्रतियों में पुनः इस अनुरोध के साथ भेजा जा रहा है कि प्रस्ताव को उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग,
बागपत।

